न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 31/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/31)

उनवानी प्रकरण :–

1–कप्तानसिंह	/	/ समस्त जातिगण गूजरान
2–पूरनसिंह	/ पुत्रगण	/
3–गिर्राजसिंह	/	/
4–हीरासिंह	/ पोथीराम	/ निवासीगण ग्राम
5–निर्भयसिंह	/	/
6–अंगूरी पुत्री पोथीराम		/ भदियाना
7–रामनिवास	/ पुत्रगण	/
8–वीरेन्द्रसिंह	/	/ तहसील सैपऊ
9–विजेन्द्रसिंह	/ भरतसिंह	/
10–रामखतियार	/	/ जिला धौलपुर
11–खडिया	/ पुत्रीयान	/
12–गुडडी	/ भरतसिंह	/

——————अपीलान्टस

बनाम्

1–तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–पंजबा नेशनल बैंक शाखा बसईनवाव जरिये प्रबन्धक ——————रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 710 दिनांक 21.05.1989 बॉके ग्राम खरगपुर आदेश तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।
रेस्पोडेण्ट सं0 2की ओर से :–श्री रविन्द्र प्रसाद मोदी एडवोकेट

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

निर्णय दिनांक : 28.07.2021

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजीयात मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 710 बॉके ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ के अपीलान्टस संख्या–1लगा06 के पूर्व पुरूष पोथीराम व अपीलान्टस संख्या 07 लगा0 12 के पूर्व पूरूष भरतसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 3.3.1989 पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर क्रय किया था तथा रोजे खरीद से अपीलान्टस के पूर्व पुरूष अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजीयात मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 710 ग्राम खरगपुर पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज कास्त रहे तथा कालान्तर में पोथीराम व भरतसिंह के निधनोपरान्त अपीलान्टस विवादित आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज कास्त है। यह कि अपीलान्टस के पूर्व पुरूषो ने असल वयनामा वास्ते दालिख खारिज हल्का पटवारी को दिया तथा अपीलान्टस एवं उनके पूर्व पुरूष इस विश्वास में रहे कि विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकवे पर मुताविक पंजीवद्ध वयनामा उनके हक में दाखिल खारिज हो चुका है परन्तु दिनांक 21.2.2019 को अपीलान्टस को ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी में से 1/12 हिस्सा बदस्तूर छोडते हुये गोलो पुत्री महाराजसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज छोड दिया है तथा गोलो के निधन के उपरान्त उसकी मॉ ग्याकौर वेवा महाराजसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है। वर्तमान में ग्याकौर वेवा महाराजसिंह का भी निधन हो चुका है। अपीलान्टस अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि तहत नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस या उनके पूर्व पूरूषो को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है। अपीलान्टस के पूर्व पूरूषों द्वारा सम्पूर्ण विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है जो विवादित आराजी के 1/12 हिस्से को गोलो पुत्री महाराजसिंह के नाम बदस्तूर छोडना नियमानुसार गलत है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण काबिल दुरस्ती के है। रेस्पो0संख्या–1 द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का पालन किये बिना तथा कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर मनमाना रवैया अख्तयार कर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से शून्य है तथा काबिल दुरस्ती के है। यह कि नामान्तकरण संख्या 710 ग्राम खरगपुर में सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 3.3.1989 के जरिये अपीलान्टस के पूर्व पूरूषो पोथीराम व भरतसिंह ने वहिस्सा बराबर बराबर के क्रय ही कर लिया तो विवादित आराजी में से 1/12 हिस्से को वदस्तूर रखने का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता है। अधीनस्थ अधिकारियों ने विना वयनामा का अवलोकन किये राठौरी रवैया अख्तयार

कर तहत नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्टस को दिनांक 21.2.2019 को हल्का पटवारी से हुआ तब अपीलान्टस ने जिला अभिलेखागार धौलपुर मालूमात किया तथा तहत नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र जिला भू अभिलेखागार धौलपुर में प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्टस को दिनांक 1.3.2019 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहा है यद्वपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी बरफू हुज्जत हस्व दफा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 710 बॉके ग्राम खरगपुर निरस्त फरमाया जावे तथा मुताविक वयनामा नामान्तकरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 710 बॉके ग्राम खरगपुर, नकल वयनामा प्रमाणित दिनांक 3.3.1989 क्रमांक 1224 नकल जमाबन्दी सम्बत 2049 से 2052 ग्राम भदियाना, नकल जमाबंदी सम्बत 2006 खाता संख्या 166 ग्राम खरगपुर, नकल जमाबंदी सम्बत 2065 से 2068 खाता संख्या 183, नकल जमाबंदी सम्बत 2073 से 2076 खाता संख्या 47 बॉके ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से श्री रविन्द्र प्रसाद मोदी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया, पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 21.02.2019 को हल्का पटवारी से हुआ। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। इस विनाय पर प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस के पूर्व पुरूषों ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 3.3.1989 पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर सम्पूर्ण आराजी को क्रय किया था जिसका अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 710 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण में 1/12 हिस्सा बदस्तूद छोडकर नामान्तकरण खोला गया है जो गलत है। नामान्तकरण संख्या 710 ग्राम खरगपुर में सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 3.3.1989 के जरिये अपीलान्टस के पूर्व पूरूषो पोथीराम व भरतसिंह ने वहिस्सा बराबर बराबर के क्रय ही कर लिया तो विवादित आराजी में से 1/12 हिस्से को वदस्तूर रखने का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता है। अधीनस्थ अधिकारियों ने विना वयनामा का अवलोकन किये नामान्तकरण तस्दीक किया है जो काबिल निरस्ती के है।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस कथन किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। वयनामा दिनांक 3.3.1989 को हुआ जिसका नामान्तकरण दिनांक 21.5.1989 को खोला गया। वयनामा की नकल फोटोस्टेट प्रति पेश की है जो साक्ष्य में ग्राह नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्टस के पूर्व पुरूषों पोथीराम व भरतसिंह ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 3.3.1989 सम्पूर्ण आराजी को क्रय किया था जिसका अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 710 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण में विवादित आराजी के 1/12 हिस्से को गोलो पुत्री महाराजसिंह के नाम बदस्तूर छोडना नियमानुसार गलत है जबकि बयनामा में गोलो का नाम बेचानकर्ता के रूप में अंकित है। उक्त नामान्तकरण में 1/12 हिस्सा बदस्तूर छोडकर नामान्तकरण खोला गया है जो गलत है। नामान्तकरण संख्या 710 ग्राम खरगपुर में सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 3.3.1989 के जरिये अपीलान्टस के पूर्व पूरूषो पोथीराम व भरतसिंह ने वहिस्सा बराबर बराबर के क्रय ही कर लिया तो विवादित आराजी में से 1/12 हिस्से को वदस्तूर रखने का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 710 बॉके ग्राम खरगपुर आदेश अति0तहसीलदार सैपऊ दिनांक 21.05.1989 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशित किया जाता है कि मुताविक वयनामा तारीखी 03.03.1989 के अनुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर